भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1461

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

गेहूं और धान का उत्पादन

1461. श्री राजमोहन उन्नीथन:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में गेहूं और धान का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य-वार कितना धान खरीदा गया है;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को धान की खरीद के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है;

(घ) क्या देश के विभिन्न राज्यों में धान और गेहूं की खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(च) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त समस्या से निपटने के लिए क्या सख्त कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में गेहूं और धान (चावल के संदर्भ में) का राज्यवार उत्पादन, पिछले पांच वर्षों और चालू खरीफ मौसम के लिए वर्ष-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

...2/-

(ख): पिछले पांच वर्षों और चालू खरीफ मौसम के दौरान भारत सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदे गए धान की राज्यवार मात्रा **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग): पिछले पांच वर्षों और चालू खरीफ मौसम के दौरान धान की खरीद के लिए किसानों को प्रदत्त की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की राशि निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**खरीफ विपणन मौसम (केएमएस)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपए में)**
1.	2019-20	141,465.94
2.	2020-21	169,099.84
3.	2021-22	168,031.12
4.	2022-23	166,540.91
5.	2023-24	172,318.98
6.	2024-25 (दिनांक 27.11.2024 तक)	62,432.44

(घ) से (च): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा विभिन्न राज्यों से धान और गेहूं की खरीद संबंधी शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक)	
	धान	गेहूं	धान	गेहूं	धान	गेहूं	धान	गेहूं
उत्तर प्रदेश	2	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	2	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0
असम	1	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	3	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	6	0	0	0	1	0	4
कुल	**10**	**6**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**

दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की गई है।

झारखंड क्षेत्र से नौ कार्मिक और राजस्थान क्षेत्र से चार कार्मिक दोषी पाए गए। दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(छ): आरएमएस 2021-22 से पूरे देश में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में कर दिया जाए। डीबीटी ने फर्जी किसानों को खत्म कर दिया है और भुगतान के डायवर्जन और द्विरावृति को कम किया गया क्योंकि भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जा रहा है। एमएसपी के डीबीटी से जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा आई है।

...3/-

एफसीआई और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जो वास्तविक खरीद के उचित पंजीकरण और निगरानी के माध्यम से किसानों के लिए पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करती है। खरीद एजेंसियों द्वारा स्थापित ई-खरीद मॉड्यूल के माध्यम से, किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तारीख आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है। इससे न केवल किसानों द्वारा स्टॉक की डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि कम हुई है, अपितु किसान अपनी सुविधा के अनुसार निकटतम मंडी में स्टॉक पहुंचाने में भी सक्षम हुआ है।

खरीद एजेंसियों द्वारा विकसित विभिन्न खरीद पोर्टलों को अब केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) में एकीकृत कर दिया गया है, ताकि पहचाने गए एमटीपी (न्यूनतम थ्रेशहोल्ड पैरामीटर) को साझा किया जा सके और एक एप्लीकेशन इको-सिस्टम विकसित किया जा सके, जिसमें खरीद के संबंध में अपेक्षित जानकारी, निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने तथा एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एकल स्रोत पर उपलब्ध हो। एमटीपी में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, डिजिट्राइजड़ मंडी संचालन, किसानों को एमएसपी अंतरण, सीएमआर/गेहूं वितरण प्रबंधन और एपीआई आधारित एकीकरण शामिल है। सभी राज्यों में खाद्यान्न खरीद संचालन को डिजिटाइज कर दिया गया है और 24 राज्यों के पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिए गए हैं।

पुराने स्टॉक के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) की जांच करने हेतु चावल की आयु निर्धारित करने के लिए मिश्रित संकेतक (मिक्स इंडिकेटर मेथड़) विधि शुरू की गई है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 04.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

गेहूं का उत्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22	आरएमएस 2022-23	आरएमएस 2023-24	आरएमएस 2024-25
1	तेलंगाना	0.09	0.16	0.14	0.06	0.07
2	असम	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13
3	बिहार	55.80	61.50	62.24	65.06	71.68
4	छत्तीसगढ	1.15	2.48	1.92	1.90	1.81
5	गुजरात	33.27	32.59	33.34	34.64	37.73
6	हरियाणा	118.76	123.94	104.47	109.29	111.91
7	हिमाचल प्रदेश	5.63	5.70	5.49	5.92	7.88
8	जम्मू एवं कश्मीर	4.88	4.84	5.84	5.87	5.87
9	झारखंड	4.39	5.44	5.19	4.39	4.81
10	कर्नाटक	1.80	2.62	2.12	2.00	1.90
11	मध्य प्रदेश	196.07	181.82	229.78	227.30	225.81
12	महाराष्ट्र	17.94	20.71	21.44	23.74	19.88
13	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	पंजाब	176.16	171.86	148.61	167.83	177.37
15	राजस्थान	109.16	110.35	100.96	106.36	97.00
16	उत्तर प्रदेश	338.16	355.07	339.50	336.10	353.40
17	उत्तराखंड	9.04	9.55	8.63	8.31	8.69
18	पश्चिम बंगाल	5.10	5.95	6.56	5.57	5.93
19	अन्य	1.06	1.14	1.08	1.08	1.05
कुल		**1078.61**	**1095.86**	**1077.42**	**1105.54**	**1132.92**

नोट: उपरोक्त आंकड़े डीए एंड एफडब्ल्यू, एमओए एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार से स्रोत हैं।

*****

अनुबंध- II

लोक सभा में दिनांक 04.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

धान का उत्पादन (चावल के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	86.59	78.83	77.64	79.42	73.42	45.18
2	तेलंगाना	74.28	102.17	124.10	158.77	168.74	81.74
3	असम	49.85	52.15	43.82	56.24	55.39	39.71
4	बिहार	62.98	67.47	77.17	70.23	79.02	78.25
5	छत्तीसगढ़	67.75	71.61	80.22	98.12	97.03	93.03
6	गुजरात	19.83	21.46	21.01	23.96	24.07	23.97
7	हरियाणा	48.24	44.25	46.18	51.09	59.76	60.70
8	हिमाचल प्रदेश	1.44	1.40	1.68	1.31	1.73	1.62
9	झारखंड	30.13	27.53	29.30	14.94	15.16	24.12
10	जम्मू एवं कश्मीर	5.87	5.81	4.93	0.00	6.41	0.00
11	कर्नाटक	36.34	42.92	43.18	42.80	31.27	27.59
12	केरल	6.06	6.34	4.87	5.96	4.98	1.00
13	मध्य प्रदेश	47.78	44.14	48.15	70.22	72.40	76.95
14	महाराष्ट्र	28.98	32.92	35.98	38.99	39.00	34.39
15	ओडिशा	83.60	88.10	92.91	82.50	84.74	67.79
16	पंजाब	117.79	127.84	128.85	129.91	143.56	146.82
17	राजस्थान	4.81	6.34	4.79	5.77	7.46	7.81
18	तमिलनाडु	71.71	68.81	79.07	75.57	67.99	20.85
19	उत्तर प्रदेश	155.18	155.20	152.72	161.43	159.90	217.43
20	उत्तराखंड	6.58	7.15	7.16	6.34	6.44	5.15
21	पश्चिम बंगाल	158.81	135.24	167.29	154.84	156.87	120.75
22	अन्य	24.10	56.00	23.69	29.13	22.91	24.49
कुल		**1188.70**	**1243.68**	**1294.71**	**1357.55**	**1378.25**	**1199.34**

नोट: उपरोक्त डेटा डीए एंड एफडब्ल्यू, एमओएएंडएफडब्ल्यू, भारत सरकार से स्रोत है।

***भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार।**

*****

अनुबंध- III

लोक सभा में दिनांक 04.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय पूल के लिए एमएसपी पर धान की खरीद

(आकड़े लाख टन में)

राज्य	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25*
आंध्र प्रदेश	82.58	84.57	66.58	41.12	30.43	3.27
तेलंगाना	111.26	141.09	110.35	131.86	95.32	11.88
असम	3.15	2.11	5.66	5.98	3.94	0.00
बिहार	20.02	35.59	44.90	42.05	30.80	0.44
चंडीगढ़	0.22	0.28	0.27	0.19	0.25	0.26
छत्तीसगढ़	74.86	71.08	92.01	87.53	123.88	10.10
गुजरात	0.21	1.10	1.22	1.77	0.85	0.05
हरियाणा	64.28	56.55	55.32	59.36	58.94	53.72
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.28	0.14	0.23	0.34
झारखंड	3.80	6.29	7.53	1.72	0.74	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.15	0.38	0.41	0.34	0.24	0.26
कर्नाटक	0.61	2.06	2.19	0.21	0.00	0.00
केरल	7.10	7.65	7.48	7.31	5.59	0.09
मध्य प्रदेश	25.97	37.27	45.83	46.30	42.16	0.00
महाराष्ट्र	17.42	18.99	18.32	18.48	11.64	0.41
ओडिशा	70.57	77.33	71.04	79.16	70.84	0.00
पंजाब	162.33	202.83	187.28	182.10	185.28	169.36
राजस्थान	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
एनईएफ (त्रिपुरा)	0.21	0.24	0.58	0.45	0.32	0.00
तमिलनाडु	32.41	44.90	27.58	33.84	34.96	5.02
उत्तर प्रदेश	56.57	66.84	65.53	65.50	53.80	9.48
उत्तराखंड	10.18	10.72	11.56	8.96	7.30	4.42
पश्चिम बंगाल	27.03	27.79	35.31	32.08	24.69	0.00
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**770.93**	**895.66**	**857.30**	**846.45**	**782.20**	**269.10**

***आंकड़े दिनांक 27.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार।**

*****